दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग के लिए विशेष उपाय

कुसुम राठौर
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
मो.नं. 7987771607
E-mail : kusumrathore17@gmail.com

दिव्यांग वर्ग-

दिव्यांग - वह हानि है जो किसी क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है।

UNESCO दिव्यांग वर्ग के शिक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए काम करता है। यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, दिव्यांग वर्ग को स्कूलों में शामिल करने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की वकालत करता है। यूनेस्को का मानना है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, चाहे उनकी दिव्यांगता कुछ भी हो।

यूनेस्कों के अनुसार दिव्यांग वर्ग, को शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए यूनेस्को सरकारों और अन्यहित धारकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि समावेशी नीतियां कार्यक्रम और प्रथाएं विकसित की जा सके।

यूनेस्को दिव्यांग वर्ग के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का भी समर्थन करता है, जो दिव्यांग वर्ग के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। संक्षेप में यूनेस्कों दिव्यांग वर्ग के शिक्षा सामाजिक समावेशन और अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज है जो सभी के लिए समान और न्याग संगत दुनिया बनाने के लिए काम कर रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2015 में मन की बात कार्यक्रम में दिव्यांग नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी का विचार था कि उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शीर्षक दिया। यह अधिनियम संसद द्वारा 12 दिसम्बर 1995 को पारित किया गया था तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को देश के उत्पादक नागरिक के रूप में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करेन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को मनाया जाता है। वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष 1981 को घोषित किया गया है। भारत में स्पेशल दिव्यांगों को स्वालंबन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2020, 03 दिसम्बर के उपरांत डिसेबिलिटी फांउडेंशन ने 10 दिव्यांगों को स्वालंबन परमानेंट जॉब देकर किया।

दिव्यांग शब्द उन विकलांग व्यक्तियां को संदर्भित करता है जो उनकी शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक या भावनात्मक कार्यप्रणाली को प्रभावित करते है, इसे अच्छे इरादों से गढ़ा गया था जिसका उद्देश्य विकलांगता शब्द को प्रतिस्थापित करना था।

विकलांग शब्द को नकारात्मक अर्थ में देखा जाता था और दिव्यांग शब्द ने उससे दूर जाने का प्रयास किया। हालांकि भाषा स्थिर नहीं होती और समय के साथ उसका प्रभाव बदल सकता है।

दिव्यांग का अर्थ -

दिव्य अंग या ईश्वर द्वारा दी गई विशेष क्षमता, यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमल होता है जिन्हें शारीरिक मानसिक य संवेदी अक्षमता होती है लेकिन साथ ही उनमें कुछ विशेष क्षमताएँ होती है जिन्हें समाज को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है, दिव्यांग व्यक्ति को समाज में समान अवसर मिलना चाहिए।

दिव्यांग का शाब्दिक अर्थ :

दिव्यांग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है दिव्य अंग या ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशेष अंग, दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या संवेदी अक्षमता का अनुभव होता है, जिसके कारण उसे सामान्य जीवन की गतिविधियों को करने में कठिनाई हो सकती है। दिव्यांग वर्ग में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमताओं से पीड़ित है, जो दूसरों के साथ समान रूप से समाज में दिव्यांग वर्ग की श्रेणियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती है पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती है।

1. शारीरिक दिव्यांगता - इसमें वे स्थितियाँ शामिल है जो किसी व्यक्ति की गतिशीलत और शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, जैसे कि गतिशीलता विकलांगता (जैसे- लकवा, अंगविच्छेदन) रीढ़ की हड्डी में चोट, मस्तिष्क पक्षपात आदि।

2. संवेदी दिव्यांगता - इसमें दृष्टिगत (अंधापन या कम दृष्टि) श्रवण बाधित (बहरापन या कम सुनन) और भाषण दिव्यांगता शामिल है।

3. बौद्धिक/विकास संबंधी दिव्यांगता - इसमें मानसिक मंदता, सीखने की अक्षमताएँ जैसे- डिस्लेक्सिया, डिसंग्राफिया आदि ओटिज्म स्पेक्ट्रम विकार शामिल है।

4. मानसिक स्वास्थ्य/व्यवहार संबंधी दिव्यांगता - इसमें मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल है जो किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कि अवसाद चिंता, द्विध्रुवी विकार आदि।

5. बहु-दिव्यांगता - यह स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता होती है।

6. बौनापन - एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की ऊंचाई सामान्य से बहुत कम होती है।

7. कुष्टरोग मुक्त - कुष्ठरोग से ठीक होने वाले व्यक्ति भी दिव्यांग वर्ग की श्रेणी में आते है।

8. मानसिक बीमारी - मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी दिव्यांगजन माने जाते है।

दिव्यांगता की परिभाषा और वर्गीकरण समय के साथ विकसित हुए है और, यह महत्वपूर्ण है कि हम दिव्यांग वर्ग को उनके अधिकारों और सम्मान के साथ व्यवहार करें।

दिव्यांग-वर्ग के अधिकार-

मानसिक रूप से दिव्यांग वर्ग को उचित चिकित्सा देखभाल, भौतिक चिकित्सा तथा ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण पुनर्वास और मार्गदर्शन का अधिकार है जो उस अपनी क्षमता को और विकसित करने तथा जीवन में अधिकतम् क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और सभ्य जीवन स्तर का अधिकार है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होता है। संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और विकलांग अधिनियम 1995 के

अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कुछ मुख्य बातें यूनेस्कों ने दिव्यांग वर्ग के बारे में बतलाया है-

1. शिक्षा तक पहुंच - यूनेस्कों विकलांग वर्ग के बच्चों को स्कूलों में शामिल करने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की वकालत करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन.ई.पी. 2020 के अनुसार दिव्यांग शब्द को विकलांग बच्चों के रूप में सन्दर्भित किया है इस नीति का उद्देश्य इस वर्ग को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना है। एन.ई.पी. 2020 समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि दिव्यांग वर्ग के बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

एन.ई.पी. 2020 के अनुसार दिव्यांग या विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में बाधा मुक्त पहुंच, सहायक उपकरण और सहायक शिक्षकों का प्रावधान और समावेशी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन शामिल है।

संक्षेप में एन.ई.पी. 2020 में दिव्यांग शब्द का उपयोग उन बच्चों के लिए किया गया है जिन्हें विकलांगता है और इस नीति का उद्देश्य इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना है, उन्हें नियमित स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करके और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है।

2. सामाजिक समावेशन - यूनेस्को ने दिव्यांग वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3. अधिकारों की रक्षा - यूनेस्कों इस वर्ग विशेष की अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करता है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और न्याय तक पहुंच शामिल है।

4. समावेशी नीतियों और कार्यक्रम - यूनेस्को सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि समावेशी नीतियाँ कार्यक्रम और प्रथाएँ विकसित की जा सकें।

5. जागरूकता बढ़ाना - यूनेस्को दिव्यांगता के विषय में जागरूकता बढ़ाने और नकारात्मक रूढ़ियों को दूर करने के लिए काम करता है।

यूनेस्को का मानना है कि दिव्यांग वर्ग समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें।

एन.ई.पी. 2020 के अनुसार दिव्यांग वर्ग को शिक्षा प्रणाली में समान भागीदारी के अवसर मिलेगें-

समावेशी शिक्षा- मुख्य धारा के स्कूलों में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल है।

विशेष शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक- विशेष आवश्यकताओं वाले वर्ग को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता- दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

उपयुक्त बुनियादी ढ़ांचा- स्कूलों में रैप लिफ्ट और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करन ताकि दिव्यांग छात्र आसानी से स्कूल आ जा सके और आरामदायक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया।

उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप- एन.ई.पी. 2020 में दिव्यांग वर्ग के लिए उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करने पर जो दिया है ताकि वे शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढ़ंग से भाग ले सके।

पार अक्षमता प्रशिक्षण- शिक्षकों को दिव्यांगता के विभिनन पहलुओं और छात्रों को प्रभावी ढ़ंग से बढ़ाने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पार अक्षमता प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

शिक्षक शिक्षा में जागरूकता - शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांगता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि छात्रों की जरूरतों को बेहतर ढ़ंग से समझ सकें।

6. ब्रेल और भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग- एन.ई.पी. 2020 में ब्रेल और सांकेतिक भाषा का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है ताकि दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित छात्रों को भी प्रभावी ढ़ंग से शिक्षा दी जा सके।

7. भेदभाव मुक्त वातावरण - एन.ई.पी. 2020 में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव मुक्त वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है ताकि दिव्यांग वर्ग सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

8. व्यक्तिगत समर्थन - एन.ई.पी. 2020 में प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

एन.ई.पी. 2020 में इन प्रावधानों के माध्यम से दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने और उन्हें अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, दिव्यांग वर्ग के लिए कई प्रमुख योजनाएँ जो शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश पर केन्द्रित है। इनमें ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS) और समावेशी शिक्षा केलिए NCERT की पहले शामिल है।

दिव्यांग वर्ग सशक्ति विभाग द्वारा प्रमुख योजनाएँ-

ADIP योजना **(Assistance to Disabled Persons for Purchase / Fitting of Aids and Applications)** - यह योजना 1981 से चल रही है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांग वर्ग के मजबूत आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायता उपकरण खरीदने में मदद करना है, जिससे उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाई जा सके।

दीनदयाल दिव्यांजन पुनर्वास योजना (DDRS) -इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी (NGO) को दिव्यांग वर्ग के लोगों को पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांग वर्ग को उनके इष्टतम् शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर तक पहुंचने और उसे बनाएं रखने में सक्षम बनाना है।

NCERT की समावेशी शिक्षा के लिए पहल :- यह एक मोबाईल ऐप है जो 21 दिव्यांग को उपर करता है। जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार मानक विकलागताएं शामिल है। यह पहल दिव्यांग बच्चों की शीघ्र जांच और प्रमाणन की सुविधा प्रदान करती है।

दिव्यांग समावेशी शिक्षा - एन.सी.ई.आर.टी. समावेशी शिक्षा के लिए पहल कर रही है जिसमें व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शामिल है।

दिव्यांग वर्ग (विकलांग वर्ग) के सामने कई प्रमुख चुनौतियाँ है जिनमें प्रमुख हैं-

1. **सामाजिक अलगाव :-** दिव्यांगजन को अक्सर गतिविधियों और समुदायों में भाग लेने में कठिनाई होती है जिससे अलगाव और अकेलेपन भावना बढ़ सकती है।

2. **शारीरिक बाधाएँ** :- अपर्याप्त पहुंच वाले सार्वजनिक स्थान, परिवहन और इमारतें दिव्यांगों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को सीमित करती है।

3. **संचार संबंधी बाधाएँ -** श्रवण या वाक बाधित लोगों को संवाद करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे सामाजिक संपर्क और शिक्षा में बाधाएँ आ सकती है।

4. **शिक्षा और रोजगार में भेदभाव :-** दिव्यांग वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में भेदभाव और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति बाधित होती है।

5. **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच :-** दिव्यांग वर्ग को अधिकतर स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से पुनर्वास और भौतिक चिकित्सा तक पहुंचने में कठिनाई होती है जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

6. **सामाजिक कलंक और गलतफहमी** :- दिव्यांग वर्ग के प्रति समाज में पूर्वाग्रह और गलतफहमी मौजूद हो सकती है, जिससे उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो सकता है।

7. **तकनीकी सहायता का अभाव :-** दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों की बेल पाठ्यपुस्तके स्क्रीन रीडर, या सांकेतिक मात्रा दुभाषियों जैसी सहायता तकनीकी तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है जो उनके जीवन को आसान बना सकती है।

8. **वित्तीय बाधाएँ :-** दिव्यांगजन गरीबी और वित्तीय असुरक्षा का अनुभव कर सकते है जिससे उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

कानूनी और नीतिगत मुद्दे :-

दिव्यांजनों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कानूनी और नीतिगत ढ़ांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ :-

दिव्यांगजनों को अकसर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि अवसाद और चिंता जो उनके सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित कर सकती है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाज सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांग वर्ग के लिए एक समावेशी और समान वातावरण बनाया जा सके।

वंचित वर्ग -

वंचित वह परिवेश जन्म दशा है जिसका कि स्वरूप एवं अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भिन्नता के साथ-साथ परिवर्तित होता जाता है। यहॉ पर वंचित को अपेक्षित अनुभवों की न्यूनता के अर्थ में लिया जाता न कि किसी समूह की सदस्यता के रूप में। यह दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने 'सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित' तथा दरिद्रता की संस्कृति के सम्प्रत्ययों का प्रयोग किया है। विभिनन मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय संदर्भ में वंचित को जीवन की उन ऋणात्मक दशाओं के रूप में माना जो कि मानव क्षमताओं के विकास के लिए बाधक होती है।

''गार्डन ने वंचित को ''बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता माना है।''

वंचित वर्ग का अर्थ है वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए है जिन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में कठिनाई होती है यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है। अर्थात् समाज के उन व्यक्तियों से है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा धार्मिक परिस्थिति के कारण अनापत्ति नहीं कर पाए। हमारे प्राचीन भारतीय समाज का ढ़ांचा जन्म प्रदत्त जातियों पर आधारित है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में विशेषतः जातिगत संदर्भ में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व

में है। शिक्षा लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य सामज में समानता लाना और लोगों के विभिन्न वर्गों तथा समुदायों के बीच के सामाजिक भेंद भाव को मिटाना है।

परिभाषा :-

गार्डन- वंचित ''बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनतम है।''

वंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। वे उद्दीपक बालक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते है और इनके अभाव में बालक वांछित विकास नहीं कर पाता। अतः वंचित की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती हैः- वंचित सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है जिसके फलस्वरूप बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता है।

वोलमैन के अनुसर ''वंचित निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगांव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।''

वंचित बालक की विशेषताएँ -

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बालकों की अपनी विशेषताएं होती है। अनेकों सैद्धांतिक एवं आनुभाविक अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि वंचित बालकों की संज्ञात्मक, अभिप्रेरणात्मक एवं परिवेशीय विशेषताएं उनके व्यवहार में परिलिखित होती है। सामान्यतया वंचित बालक की निम्न विशेषताएं सामने आती है :-

1. सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है।

2. सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है।

3. मूल्य स्तर छोटा होता है।

4. सामाजिक ज्ञान की कमी होती है।

5. आकांक्षा स्तर निम्न होता है।

6. हीनभावना से ग्रसित रहता है।

7. चिन्ता और भय की मात्रा अधिक होती है।

8. अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहता है।

9. नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहता है।

10. जातीय स्तर अल्पसंख्यक स्तर का होता है।

11. बौद्धिक स्तर निम्न होती है।

12. वाचिक योग्यता निम्न होती है।

13. स्मृति तीव्र नहीं होती है।

14. समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है।

15. रूचियों का क्षेत्र सीमित होता है।

16. परिवर्तन का अभाव होता है।

17. समय संदर्भ में भविष्य की ओर वृद्धि नहीं होती है।

18. शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तरीय होती है।

19. सूचना संसाधन में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की न्यूनता रहती है।

20. असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते है।

21. संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते है।

22. अंतर्मुखी होते है।

23. रूढ़िवादी, निराशावादी तथा अवसाद युक्त होते है।

24. निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती हैं

25. जीवन के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को रखते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई प्रावधान है। जिसमें समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्व शिक्षा, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चों को चाहे उनकी

सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक अक्षमता कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।

NEP 2020 में वंचित वर्गी के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रकार :-

1. **समावेशी शिक्षा :** NEP 2020 समावेशी शिक्षा पर जोर देती है अर्थात् सभी बच्चों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो, नियमित स्कूलों में एक साथ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

2. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा :** NEP 2020 का लक्ष्य सभी बच्चों को विशेष रूप से वंचित समूहों के बच्चों को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें शिक्षकों को प्रतिक्षित करना, उचित शिक्षण सामग्री प्रदान करना और सीखने के प्रभावी तरीकों का उपयोग करना शामिल है।

3. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता :** NEP 2020 विशेष आवश्यक वाले बच्चों के लिए विशिष्ट सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसमें विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, सुलभ शिक्षण सामग्री और आवश्यक सहायता और उपकरणों की व्यवस्था सम्मिलित है।

4. **शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा :** NEP 2020 में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया है। इसमे मुख्य रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यक सुलभ कक्षाओं और उपकरणों की व्यवस्था और उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का उपयोग सम्मिलित है।

5. **सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित के लिए शिक्षा :** NEP 2020 में सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसमें मुक्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

6. **भाषा और संस्कृति का सम्मान :** NEP 2020 बच्चों को उनकी मातृत्व में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। इसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को शिक्षा में शामिल करना भी सम्मिलित है।

7. **शिक्षा प्रशिक्षण :** NEP 2020 शिक्षकों को वंचित समूहों के बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर देती है।

8. **समुदाय और माता-पिता का भागीदारी :** NEP 2020 में समुदाय और माता पिता को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया है।

NEP 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचित वर्गों के बच्चों शिक्षा के माध्यम से सशक्त हो और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

वंचित वर्ग के बच्चों को कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें शिक्षा की कमी गरीबी, खराब पोषण और सामाजिक अलगांव जैसी समस्याएं सम्मिलित है।

वंचित वर्ग के बच्चों की प्रमुख समस्याएँ :-

1. **शिक्षा की कमी :** वंचित वर्ग के बच्चों को अधिकांशतः स्कूल विद्यालय छोड़ने, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. **गरीबी और कुपोषण :** गरीबी और आर्थिक अभाव के कारण इन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है।

3. **सामाजिक अलगाव :** वंचित वर्ग के बच्चे अक्सर समाज से अलग-अलग महसूस करते है और उन्हें सामायोजित करने में कठिनाई होती है।

4. **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ :** कुपोषण और खराब स्वास्थ्य के कारण इन बच्चों में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती है।

5. **व्यवहार संबंधी समस्याएँ :** कुछ बच्चों में ध्यान की कमी, अति सक्रियता या व्यवहार संबंधी समस्याएँ हो सकती है, इन बच्चों को उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

वंचित वर्ग की समस्याओं को दूर करने के उपाय :-

वंचित वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें।

शिक्षा - वंचित वर्ग के बच्चो को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन्हें विशेष विद्यालय और प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा इस वर्गों को मातृभाषा में प्रदान कर बच्चों के लिए शैक्षिणिक सामग्री और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

आर्थिक सहायता - सरकार को वंचित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता योजना लागू करनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। वंचित युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। सूक्ष्म वित्त ऋण देकर अपना व्यवसाय करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने में मदद देना।

सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण - वंचितों के अधिकारों और सरकार योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम समुदाय आधारित पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाएं और आवास उपलब्ध स्वच्छ पेय जल स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस प्रकार इन सभी उपायों को एक साथ लागू करके वंचित वर्ग की समस्याओं को प्रभावी ढ़ंग से दूर दिया जा सकता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष :-

दिव्यांग वर्ग और वंचित वर्गं के लिए विशेष उपायों का निष्कर्ष यह है कि इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाना, भेदभाव कम करना और सुलभ वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। दिव्यांग और वंचित वर्ग, समाज के वे कमजोर समूह है जो अक्सर भेदभाव, गरीबी और अवसरों की कमी का सामना करते है। इन वर्गों के विकास यूनेस्कों, सरकार, सामाजिक संगठन निरंतर नए कदम उठा रहे है। इन वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता और कानूनी सुरक्षा विशेष उपायों को लागू

करके हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते है। जहाँ सभी को आत्म सम्मान, स्वाभिमान से खड़े होने का समान अवसर और सम्मान मिले।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- पाण्डेय, रामशकल (2022) उदीयमान भास्कर समाज में शिक्षक आगरा विनोद पुस्तक मंदिर पृष्ठ 652-661
- लाल, आर.बी. (2021-22) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, मेरठ रस्तोगी पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 390-394
- सिंह, कर्ण (2020-21) विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा, लखीमपुर, खारी गोविंद प्रकाशन, पृष्ठ 466-494
- मिश्र, जे. एस. (2020) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पटना, बिहर हिन्दी ग्रंथ अकादमी पृष्ठ 49-197
- सिंह, मदन (2008) समावेशी दिशा आगरा आर.लाल 99 डिपो पृष्ठ 276-285
- https://afeias.com
- https://www.sieallahabad.org
- https://filantro.org
- https://brainly.in
- https://www.gkexames.com
- https:// oxford - review.com
- https:// www.sieallahabad.org
- https://www.mpboard.online.com
- https://ijsrset.com
- https://ijcrt.org
- https:// viklangta.com
- https://www.un.org
- https://services.anu.edu.all
- https://cjp.org.in
- https://humanrights.gov.all

- https://lordstibrary.parliament
- https://www.dristrias.com
- https://www.ohchr.org
- https://www.sanskrition
- https://ballardbrief.byu.edu.
- https://www.mospi.gov.in
- https://atypicaladvantage.in